

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपद— अमेठी।

पत्रांक—के०जी०बी०वी० / स्टाफ चयन/8936-४७

/2022-23

दिनांक—23/03/2023

विज्ञप्ति/सूचना

महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक लखनऊ के पत्रांक के०जी०बी०वी०/11308 /2022-23 दिनांक 14.02.2023 के क्रम में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में रिक्त पदों पर चयन/पदस्थापन किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं जो विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या—13553/2022 स्टेट प्रोजेक्ट डाइरेक्टर बनाम सरोज मौर्या व अन्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा परित अन्तिम आदेश के अधीन होगी। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में शैक्षिक व शिक्षणेत्तर कर्मियों के नवीन चयन/पदस्थापन/सविदा के सम्बन्ध में राज्य परियोजना निदेशक, लखनऊ के पत्रांक: के०जी०बी०वी०/शिक्षक/8362 /2020-21 दिनांक: 04.01.2021 के साथ संलग्न, अपर मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन पत्रांक संख्या—1553/68-5-2020 दिनांक 11 दिसम्बर, 2020 के क्रम में जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन दिनांक—20.03.2023 के अनुपालन में जनपद अमेठी में संचालित संचालित 13 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में शैक्षिक व शिक्षणेत्तर कर्मियों के रिक्त पदों पर निर्धारित अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों से शैक्षिक सत्र 2023-24 के लिए सविदा पर कार्य करने हेतु पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, अमेठी के कार्यालय में इस प्रकार से प्रेषित किया जाय कि आवेदन पत्र निर्धारित तिथि दिनांक—15.04.2023 को सायं 05:00 बजे तक अवश्य प्राप्त हो जाय। साधारण डाक से दस्ती के रूप में एवं निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किये जायेंगे। सभी पदों पर केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। उक्त विज्ञप्ति, प्रारूप एवं शर्तें www.Amethi.nic.in पर उपलब्ध हैं। सेवा अनुबन्ध के आधार पर निर्धारित मानदेश पर रिक्त पदों की आवश्यकता का विवरण एवं अर्हता निम्नवत है—

क्र सं	पद नाम	आयु	कुल रिक्त पद	विषयवार आरक्षित रिक्त पदों की संख्या	मानदेश	अनिवार्य शैक्षिक व प्रशिक्षण अर्हता
1	पूर्णकालिक शिक्षिका	न्यूनतम—25 वर्ष अधिकतम—45 वर्ष	05	गणित— अनारक्षित—02 गणित— अ०पि०वर्ग—01 गणित— अनु०जाति—02	22000/- प्रतिमाह	गणित (P.C.M.) वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक तथा एन०सी०टी०इ० से मान्य बी०एड०/एल०टी०/ समकक्ष एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी०इ०टी० परीक्षा उत्तीर्ण।
2	पूर्णकालिक शिक्षिका	न्यूनतम—25 वर्ष अधिकतम—45 वर्ष	01	विज्ञान—अनु०जाति—01	22000/- प्रतिमाह	विज्ञान (Z.B.C.) वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक तथा एन०सी०टी०इ० से मान्य बी०एड०/एल०टी०/ समकक्ष एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी० इ०टी० परीक्षा उत्तीर्ण।
3	पूर्णकालिक शिक्षिका	न्यूनतम—25 वर्ष अधिकतम—45 वर्ष	01	हिन्दी/ संस्कृत— अनु०जाति—01	22000/-प्रतिमाह	भाषा (हिन्दी एवं संस्कृत) से प्रशिक्षित स्नातक तथा एन०सी०टी०इ० से मान्य बी०एड०/एल०टी०/ समकक्ष एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी०इ०टी० परीक्षा उत्तीर्ण।
4	पूर्णकालिक शिक्षिका	न्यूनतम—25 वर्ष अधिकतम—45 वर्ष	02	साँ० विषय— अ०पि०वर्ग— 01 अनु०जाति— 01	22000/-प्रतिमाह	सामाजिक विषय (भूगोल, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र में से किसी एक विषय से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी०इ०टी० परीक्षा उत्तीर्ण।
5	अंशकालिक शिक्षिका	न्यूनतम—25 वर्ष अधिकतम—45 वर्ष	03	कला, क्राफ्ट, संगीत— अनु०जाति—02 अनारक्षित—01	9800/- प्रतिमाह	कला, क्राफ्ट, संगीत/गृह शिल्प विषय से प्रशिक्षित स्नातक तथा एन०सी०टी०इ० से मान्य बी०एड०/एल०टी०/ समकक्ष
6	अंशकालिक शिक्षिका	न्यूनतम—25 वर्ष अधिकतम—45 वर्ष	01	स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा— अनारक्षित—01	9800/- प्रतिमाह	बी०पी०एड०/सी०पी०एड०/डी०पी०एड०/एन०सी०टी०इ० से मान्य प्रशिक्षित स्नातक उपाधि।
7	अंशकालिक शिक्षिका	न्यूनतम—25 वर्ष अधिकतम—45 वर्ष	06	कम्प्यूटर शिक्षक—अनारक्षित—03 अनु०जाति—03	9800/- प्रतिमाह	एन०सी०टी०इ० से मान्य बी०एड०/समकक्ष एल०टी० इसके अतिरिक्त पी०जी०डी०सी०ए०/बी०सी०ए०/ बी०एस०सी० कम्प्यूटर साइन्स अध्यवा स्नातक सहित डी०ओ०इ०ए०सी०या समकक्ष संस्था से ओ० लेवल /ए० लेवल डिप्लोमा।
8	मुख्य रसोईया	न्यूनतम—25 वर्ष अधिकतम—45 वर्ष	01	अनारक्षित—01	6900/-प्रतिमाह	कक्षा—8 उत्तीर्ण।
9	सहायक रसोईया	न्यूनतम—25 वर्ष अधिकतम—45 वर्ष	02	अनारक्षित—02	5175/-प्रतिमाह	कक्षा—8 उत्तीर्ण।
10	चपरासी	न्यूनतम—25 वर्ष अधिकतम—45 वर्ष	01	अनारक्षित—01	5750/-प्रतिमाह	कक्षा—8 उत्तीर्ण।
	योग—		23			

अर्हता एवं शर्तें—

- 1—समस्त स्टाफ की न्यूनतम आयु चयन वर्ष की 1 अप्रैल को 25 वर्ष होगी तथा अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक न हो।
- 2—कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में ऐसे शिक्षक/शिक्षिका जो निर्धारित अर्हता रखते हों, किन्तु शैक्षिक वर्ष 2020-21 में नवीन सविदा से वंचित हो गये हैं, उन शिक्षकों द्वारा रिक्त पदों के सापेक्ष होने वाले नवीन चयन में प्रदेश के किसी भी जनपद में आवेदन करने पर, उन्हें चयन हेतु आयु सीमा में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कार्यरत रहने की अवधि के समतुल्य छूट प्रदान की जाय किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका की आयु 60 वर्ष से अधिक न हो।
- 3—कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में ऐसे शिक्षक/शिक्षिका जो शैक्षिक वर्ष 2020-21 में नवीन सविदा से वंचित हो गये हैं, उन शिक्षकों द्वारा रिक्तियों के सापेक्ष होने वाले नवीन चयन में प्रदेश के किसी भी जनपद में आवेदन करने पर, उन्हें चयन हेतु शैक्षिक

अर्हता में शासनादेश संख्या-के०जी०बी०बी०/३-२/२०१३-१४ दिनांक 29.07.2013 के पूर्व कार्यरत शिक्षकों के लिए टी०इ०टी० की अर्हता अनिवार्य नहीं होगी।

- 4-कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के ऐसे शिक्षक /शिक्षिका जो शैक्षिक सत्र 2020-21 में नवीन संविदा से वंचित हो रहे हैं, उनके द्वारा विद्यालयों में रिक्तियों के सापेक्ष हाने वाले नवीन चयन में प्रदेश के किसी भी जनपद में आवेदन करने पर उन्हें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में की गयी सेवा अवधि के प्रत्येक सम्पूर्ण शैक्षिक वर्ष के लिए 2 अंक अतिरिक्त भारांक दिया जायेगा किन्तु अधिकतम भारांक 30 अंक से अधिक नहीं दिया जायेगा।
- 5- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शैक्षिक स्टाफ यथा पूर्णकालिक शिक्षिका, उर्दू शिक्षक /शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षक /शिक्षिका तथा लेखाकार के पद पर चयन सीधे मेरिट के आधार पर किया जायेगा। पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षक /शिक्षिका तथा लेखाकार के पद हेतु अन्यर्थी के चयन के लिए भारांक के अंकों का निर्धारण निम्न प्रकार किया जायेगा-

क्र.सं.	परीक्षा / उपाधि का नाम	गुणवत्ता अंक
1	हाईस्कूल	परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत X 10 / 100
2	इण्टरमीडिएट	परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत X 10 / 100
3	स्नातक उपाधि	परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत X 20 / 100
4	प्रशिक्षण	परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत X 30 / 100
5	भारांक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्यरत अनुबंध	प्रत्येक पूर्ण अध्यापन वर्ष के लिए 2 अंक अधिकतम 30 अंक तक, जो भी कम हो

6-पूर्णकालिक एवं अंशकालिक शिक्षक /शिक्षिका के पदों के लिए निर्धारित योग्यता उच्च प्राथमिक स्तर की टी०इ०टी० एवं प्रशिक्षित स्नातक होगी। प्रशिक्षण उपाधि के अन्तर्गत एन०सी०टी०इ० से मान्य बी०ए८० अथवा उसके समकक्ष एल०टी० इत्यादि प्रशिक्षण को सम्मिलित किया जायेगा।

7-मुख्य विषय (हिन्दी, संस्कृत, विज्ञान, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विषय) एवं लेखाकार के पदों पर महिला अन्यर्थी ही अर्ह होंगी। चयन के उपरान्त पूर्णकालिक शिक्षिका को विद्यालय परिसर में छात्राओं के साथ निवास करना अनिवार्य होगा।

8-पाठ्य सहगामी विषयों (कम्प्यूटर, स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा, कला, क्राफ्ट, संगीत/गृह विज्ञान) के अंशकालिक पद पर शिक्षिका का चयन किया जायेगा।

9-के०जी०बी०बी० में उक्त पदों पर शैक्षणिक स्टाफ का चयन सीधे मेरिट के आधार पर किया जायेगा। जिसमें हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट, स्नातक एवं बी०ए८० के अंकों के प्रतिशत को जोड़कर लब्धांक निकाला जायेगा।

10-मुख्य विषय-भाषा (हिन्दी एवं संस्कृत से प्रशिक्षित स्नातक), गणित-(P.C.M. वर्ग, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित से प्रशिक्षित स्नातक), विज्ञान (Z.B.C वर्ग, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन विज्ञान से प्रशिक्षित स्नातक), अंग्रेजी (अंग्रेजी विषय से प्रशिक्षित स्नातक), सामाजिक विषय (भूगोल, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र में से किसी एक विषय से प्रशिक्षित स्नातक) एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी०इ०टी० परीक्षा उत्तीर्ण।

11-पाठ्य सहगामी विषय (कला, क्राफ्ट, संगीत/गृह शिल्प से प्रशिक्षित स्नातक),

- कम्प्यूटर शिक्षिकाओं के लिए प्रशिक्षित स्नातक होना अनिवार्य है। प्रशिक्षण उपाधि के अन्तर्गत एन०सी०टी०इ० से मान्य बी०ए८० /समकक्ष एल०टी० इत्यादि प्रशिक्षण सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त कम्प्यूटर शिक्षण हेतु पी०जी०डी०सी०इ० /बी०सी०ए०/बी०ए०सी० कम्प्यूटर साइंस अथवा स्नातक सहित डी०ओ०इ०ए०सी०सी० या समकक्ष संस्था से ओ० लेवल /ए० लेवल डिप्लोमा आदि शैक्षिक योग्यता भी वाचित है।
- कला, क्राफ्ट एवं संगीत आदि विषयों के लिए शैक्षिक योग्यता स्नातक उपाधि सहित प्रशिक्षण उपाधि होगी तथा गृह शिल्प की शिक्षिका का पद कला, क्राफ्ट एवं संगीत के पद के अन्तर्गत ही माना जायेगा।
- बी०पी०ए८०, सी०पी०ए८० तथा डी०पी०ए८० शारीरिक शिक्षा के अध्यापन हेतु मान्य होंगी किन्तु शारीरिक शिक्षा पद पर चयन हेतु बी०पी०ए८०, सी०पी०ए८० तथा डी०पी०ए८० अन्यर्थीयों हेतु टी०इ०टी० अनिवार्य नहीं होगी।

12-स्नातक के तीनों वर्षों का अंकपत्र तथा प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

13-किसी सेवा से बर्खास्त नैतिक /चारित्रिक अक्षमता के अपराध के लिए दोष सिद्ध एवं दिवालिया व्यक्ति चयन के लिए अर्ह/पात्र नहीं होगा।

14-शैक्षणिक स्टाफ हेतु केवल उन्हीं अन्यर्थीयों के आवेदन पत्र पर विचार किया जायेगा, जिनके स्नातक के विषय उक्तवत् विवरण में दी गयी विषयों से मिलान करेंगी।

15-अन्यर्थी के आवेदन पत्र के साथ निर्धारित स्थान पर नवीनतम पासपोर्ट साइज की स्वप्रमाणित फोटो चस्पा किया जाना अनिवार्य होगा। समस्त शैक्षिक अंकपत्रों, प्रमाणपत्रों/अनुभवप्रमाण पत्र, आधार प्रमाण पत्र, जाति व निवास प्रमाण पत्र एवं अन्य वाचित प्रमाणपत्र की छायाप्रतियां स्वप्रमाणित हों, संलग्न किया जायेगा। आवेदन पत्र के साथ दो लिफाफे अपना पता लिखा हुआ भी संलग्न करें, जिस पर रु 45/-डाक टिकट चस्पा हो।

16-एक लिफाफे में केवल एक ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जायेगा। एक लिफाफे में एक से अधिक आवेदन पत्र भेजने पर सभी आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे। लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम स्पष्ट रूप से देवनागरी लिपि में अंकित किया जाय।

17-विज्ञप्ति के साथ निर्धारित आवेदन पत्र के प्रारूप में कोई भी परिवर्तन/परिवर्धन अमान्य होगा। आवेदन पत्र में उल्लिखित सूचनाओं के बाद में कोई भी परिवर्तन स्वीकार नहीं होगा। सभी सूचनाएं निर्धारित स्थान पर स्वच्छता से अंकित किये जायें। आवेदन पत्र में किसी प्रकार की कटिंग/ओवरराइटिंग की दशा में अन्यर्थी के आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा और न ही इसकी सूचना अन्यर्थी को दी जायेगी।

18-सभी पदों पर केवल महिला अन्यर्थीयों का चयन किया जायेगा।

19-चयन उपरान्त पूर्णकालिक शिक्षिकाओं, मुख्य रसोईया एवं सहायक रसोईया का पद पूर्णकालिक होने के कारण विद्यालय परिसर में ही निवास करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में उनका चयन समाप्त कर दिया जायेगा। पूर्णकालिक स्टाफ को अपने साथ परिवार के किसी भी सदस्य को विद्यालय परिसर में रखने की अनुमति नहीं है।

20-पंजीकृत डाक से डाक द्वारा विलम्ब से आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।

१

२

- 21-उपर्युक्त समस्त पद चयन सेवा अनुबंध के आधार पर एक शैक्षिक सत्र (अधिकतम 11 माह 29 दिन) होगा तथा कार्य संतोषजनक पाये जाने पर आगामी शैक्षिक सत्र के लिए सेवा अनुबंध का विस्तारिकण किया जा सकता है जो कि नियत मानदेय पर संविदा पर आधारित होगा।
- 22-रिक्तियों की संख्या आवश्यकतानुसार घट-बढ़ सकती है तथा किसी भी पद के लिए विज्ञापन निरस्त करने का सर्वाधिकार अध्यक्ष जिला स्तरीय चयन समिति के पास सुरक्षित होगा। इसमें किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा। विज्ञप्ति लिपिकीय ब्रूटि के संधान रहेगी।
- 23-शिक्षक / शिक्षणेत्तर स्टाफ के नवीन चयन के पश्चात् सम्बन्धित कार्मिक द्वारा चयन के समय प्रस्तुत समस्त प्रमाण पत्रों का सम्बन्धित बोर्ड/परीक्षा संस्था से सत्यापनोपरान्त ही मानदेय का भुगतान किया जायेगा।
- उक्त विज्ञप्ति एवं मय प्रारूप www.amethi.nic.in पर विस्तृत रूप से उपलब्ध है।

(संगीता सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जनपद अमेठी

पृ० सं०: के० जी० बी० वी० / स्टाफ चयन / / 2022-23 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उ०प्र० लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, जनपद अमेठी।
3. मुख्य विकास अधिकारी, जनपद अमेठी।
4. सहायक शिक्षा निदेशक (वेसिक), अयोध्या मण्डल, अयोध्या।
5. प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सुलतानपुर/अमेठी।
6. जिला विद्यालय निरीक्षक, जनपद अमेठी।
7. समस्त उपजिलाधिकारी, जनपद अमेठी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त विज्ञप्ति को अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
8. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, जनपद अमेठी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को एन०आई०सी० की बेवसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
9. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद अमेठी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त विज्ञप्ति को अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
10. समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी, जनपद अमेठी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त विज्ञप्ति को अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
11. दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं अमर उजाला को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त विज्ञप्ति को राजकीय दर पर लखनऊ संस्करण के आगामी अंक में न्यूनतम आकार में प्रकाशित कर बिल भुगतान हेतु दो प्रतियों में अधोरुस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध करायें।
12. कार्यालय प्रति।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जनपद अमेठी।

23/03/23

आवेदन पत्र का प्रारूप

कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय जनपद—अमेठी में रिक्त पदों पर चयन हेतु आवेदन पत्र

1—	आवेदित पद का नाम :	विषय	
2—	अभ्यर्थी का नाम (देवनागरी लिपि में)		
3—	पिता/पति का नाम.....		
4—	स्थायी पता :		
5—	पत्र व्यवहार का पता :		
6—	दूरभाष/मोबाइल नं०		
7—	आरक्षण कोटि.....	(अद्यतन जारी प्रमाण—पत्र संलग्न करें)	
8—	जन्मतिथि (हाईस्कूल/आठवीं के प्रमाण पत्र के अनुसार) अंकों में.....	शब्दों में.....	
9—	01 अप्रैल 2023 को हाईस्कूल/आठवीं के प्रमाण पत्र के आधार पर आयु.....	दिन.....माह.....वर्ष.....	
10—	जाति/वर्ग (सामान्य, अनु०जा०, अनु०जन जा०, अन्य पिछड़ी जाति का स्पष्ट उल्लेख करें)		
11—	अनुभव के०जी०बी०वी० यदि हो.....		
12—	शैक्षिक योग्यता :		

स्व० प्रमाणित
नवीनतम् फोटो चस्पा

क्र० सं०	शैक्षिक योग्यता	संस्था का नाम	वोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	अनुक्रमांक	समस्त विषयों के नाम	उत्तीर्ण वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
1	कक्षा आठ	उक्त कालम को केवल मुख्य रसोईया, सहायक रसोईया व चपरासी के अभ्यर्थियों द्वारा भरा जायेगा।							
2	हाईस्कूल अथवा समकक्ष								
3	इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष								
4	स्नातक (बी०ए०, बी०काम० / बी०एस०सी०)								
5	प्रशिक्षण योग्यता								
6	उच्च प्राथमिक स्तर टी०ई०टी० परीक्षा उत्तीर्ण								
7	अन्य								

समस्त अंक पत्र/प्रमाण—पत्र एवं टी०ई०टी० (उच्च प्राथमिक स्तर) की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।

घोषणा

मैं पुत्र/पुत्री यह घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में उक्तवत् दिये गये विवरण मेरी जानकारी में पूर्णतया सत्य है एवं किसी तरह का तथ्य गोपन नहीं किया गया है। जाँच में कोई भी तथ्य/संलग्न प्रमाण—पत्र फर्जी अथवा कूटरचित पाये जाने पर मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाय तथा मेरे विरुद्ध जो भी कार्यवाही की जायेगी वह मुझे मान्य होगी। इस हेतु कोई दावा नहीं किया जायेगा।

दिनांक
संलग्नकों का विवरण—1.

हस्ताक्षर

2.
3.

(अभ्यर्थी का पूरा नाम)